45/15

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

क	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
	श्रीमानजी इजराय पेश है। 1. क्षेत्राधिकार में है। 2. कोर्ट फीस चस्पा है। 3. तलबाना संलग्न है। अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ सादर प्रेषित है। [signature] 24/11/15 Sd/- [signature]
24/11/15	डिक्रीदार मय वकील उपस्थित इजराय दर्ज रजिस्टर की जावे तहसीलदार कोटकासिम को अहकाम जारी हो। आयन्दा पत्रावली दिनांक 30/11/15 को पेश हो। [signature]
	30/11/15 वास्ते तामील अहकाम पालना रिपोर्ट पत्रा. 21-12-15 को पेश हो। [signature]
	21/12/15 ... अनुपस्थित पीठासीन अधिकारी आदेश पत्रावली दिनांक 8/1/16 को पेश होवे। [signature]
	8/1/16 वास्ते तामील अहकाम पालना रिपोर्ट पत्रा. दिनांक 11-3-16 को पेश हो। [signature]
	11/3/16 वास्ते तामील अहकाम पालना रिपोर्ट पत्रा. दिनांक 27-5-16 को पेश हो। [signature]
	3/6/16 पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में निस्तारण योग्य होने से पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में दिनांक 10-6-16 को पेश हो। [signature]
	10/6/16 आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई पत्रावलोकन से पाया कि डिक्री की पालना हो चुकी है अतः प्रकरण में कोई पालना अवशेष नहीं है अतः पत्रा. फैसलशुदा की जाती है। निर्णय कैम्प कोर्ट के उपरान्त [illegible] पत्रा. [illegible] से [illegible] दाखिल दफ्तर की जावे। [signature]

पालना हो चुकी
[signature]

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
127 / 2015	26 / 06 / 2015	

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र धीरा जाति चमार ग्राम ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:–वादी

बनाम

1. कैलाशदेवी पत्नी जसवन्तसिंह जाति चमार ग्राम राईखेड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0
2. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर राज0

:– असल प्रतिवादीगण

3. बनवारी पुत्र धीरा जाति चमार ग्राम ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:– तर0 प्रतिवादीगण

4. राजेन्द्रसिंह
5. गजराजसिंह पुत्रान थावरिया जाति चमार ग्राम ईकरोटिया
6. देवेन्द्रकुमार पुत्र हेतराम
7. हीरालाल जाति चमारान ग्राम ईकरोटिया
8. पूनमदेवी पत्नी अनिलकुमार जाति चमार ग्राम करवड़
9. ओमवती पत्नी दयाराम जाति चमार ग्राम जहांपुरी
10. मनोजकुमार पुत्र सुलतानसिंह जाति चमार ग्राम करवड़
11. रतिराम पुत्र बनवारीलाल जाति गुवारिया ग्राम करवड़ की ढ़ाणी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
12. यशपाल पुत्र सोराम जाति चमार ग्राम बाघोर तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0

:– फोरमल पक्षकारान

दावा इश्तकारारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
हुक्मईम्तनाईदवामी अंतर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

उपस्थित :–

1. श्री शेरसिंह चौधरी अधि0 वादी0

निर्णय

वादी द्वारा एक वादपत्र इश्तकारारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज हुक्मईम्तनाईदवामी अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय में पेश किया गया कि विवादित आराजी हाल ख0 नं0 581/116 रकबा 1.0100 हैक्टे0 वाके ग्राम ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर में स्थित है। विवादित आराजी में मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण का 79/120 हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का था जिस पर मिन वादी व तर0 प्रतिवादी काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे थे। उक्त आराजी में अपने उक्त हिस्से 79/120 भाग का 25/132 भाग यानि 0.1259 हैक्टे0 भूमि का बेचान मिन वादी व तर0 प्रतिवादी ने जर्ये बयनामा दिनांक 15.04.2005 को प्रतिवादिया सं0 1 कैलाशदेवी को किया और बेचान भूमि 0.1259 हैक्टे0 के हिसाब से ही बयनामा पर स्टाम्प ड्यूटी लगाई गई। बेचान भूमि 0.1259 हैक्टे0 यानि 10 बिस्वा रकबा बनता है। बयनामा दिनांक 15.04.2005 में विवादित भूमि ख0 नं0 581/116 रकबा 1–01 के 79/120 भाग का 25/132 हिस्सा की भूमि बेचान भूमि लिखी जानी चाहिए थी, परन्तु बयनामा में ख0 नं0 581/116 रकबा 1–01 के 79/120 भाग में से 25/132 हिस्सा की भूमि लिखी गई। जिसके हिसाब से रकबा 19 बिस्वा बेचान का बनता है। इसी आधार पर बयनामा दिनांक 15.04.2005 के आधार पर प्रतिवादिया सं0 1 के नाम नामान्तरकरण सं0 339 स्वीकार हुआ और इसी आधार पर प्रतिवादिया सं0 1 के नाम का अमल राजस्व जमाबंदी सम्वत 2061 से 2064 में हुआ। जबकि प्रतिवादिया सं0 1 अपने 10 बिस्वा 0.1259 है0 पर ही काबिज काश्त वक्त खरीद से ही रही है। आज दिन भी मौके पर प्रतिवादिया सं0 1 अपने खरीदशुदा रकबा 10 बिस्वा पर काबिज काश्त है ना कि 19 बिस्वा पर, यानि 09 बिस्वा पर मिन वादी व तर0 प्रतिवादी काबिज काश्त है। मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त है। दिनांक 25.06.2015 को हल्का पटवारी से नकल जमाबंदी वास्ते किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु प्राप्त की और अवलोकन किया तो उक्त गलत इन्द्राज का ज्ञान हुआ है। जिस पर प्रतिवादिया सं0 1 से कहा तो उसने कहा कि अदालत में कार्यवाही करो। मैं जवाब दे दूंगी। इसलिए मिन वादी विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड से जो प्रतिवादिया सं0 1 के नाम 283/1320 हिस्सा यानि 19 बिस्वा आराजी दर्ज है। इस 19 बिस्वा में से 09 बिस्वा का वादी व तर0 प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

जावे। जिसके लिए मिन वादी को यह दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना लाजिम आया है। यदि प्रतिवादिया सं0 1 ने उक्त गलत इन्द्राज की आड़ में विवादित आराजी को बेचान कर दिया तो मिन वादी व तर0 प्रतिवादी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिए मिन वादी प्रतिवादीगण को जर्ये हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबंद करवाने का अधिकारी हूँ। तर0 प्रतिवादी का विवादित आराजी में मिन वादी के हित के समान है, परन्तु तर0 प्रतिवादी आज आवश्यक कार्य होने की वजह से हाजिर अदालत नहीं हो सका है। इसलिए उसे रफाए उज्रात तर0 प्रतिवादी की जद में पक्षकार मुकदमा बनाया है। फोरमल पक्षकारान के खिलाफ मिन वादी को कोई रिलीफ नहीं चाहिए। सहखातेदार काश्तकार होने की वजह से उन्हें फोरमल पक्षकारान की जद में पक्षकार मुकदमा बनाया है। वादपत्र हेतु बिनायदवामी व बिनायमुखास्मत दिनांक 25.06.2015 को पैदा होकर वादपत्र अन्दर अवधि पेश है। वादी को उक्त गलत इन्द्राज शीघ्र दुरूस्त कराकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना। मामला आवश्यक प्रकृति का हो जाने की वजह से प्रतिवादी सं0 2 को वादपत्र में पक्षकार मुकदमा बनाने से पूर्व उसे 80 जाप्ता दीवानी के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना संभव नहीं हो सका। इसलिए उनको रफाए उज्रात 80 (2) जाप्ता दीवानी के तहत प्रार्थनापत्र अलग से पेश किया है। अतः (अ) डिक्री इजराय इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर आराजी हाल ख0 नं0 581/116 रकबा 1.100 हैक्ट0 वाके ग्राम ईकरोटिया तहसील कोटकासिम के राजस्व रिकॉर्ड से 283/1320 हिस्सा यानि 19 बिस्वा का अमल दर्ज है इस 19 बिस्वा में से वादी व तर0 प्रतिवादी को 09 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस हद तक प्रतिवादिया सं0 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन किया जावे। (ब) डिक्री इजराय हुक्मईम्तनाई दवामी पारित की जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति कायम रखे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

प्रतिवादी 1 की तामील होने पर भी उनकी ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया। दिनांक 10.09.2015 को प्रतिवादी सं0 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं0 2 पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में राजस्थान सरकार का कोई हित निहित नहीं होना अंकित किया है।

तर0 प्रतिवादीगण 8, 10, 12 की ओर से जवाब इकबाल पेश किया। तर0 प्रतिवादीगण 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 की तामील होने के बावजूद सूचना के अपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी द्वारा दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत 2061 से 2064 प्रदर्श 1, प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068, प्रदर्श 3 नकल बयनामा छायाप्रति दिनांक 02.05.2005, प्रदर्श 4 नामान्तरकरण सं0 339 छायाप्रति, प्रदर्श 5 नामान्तरकरण सं0 560 छायाप्रति, प्रदर्श 6 नामान्तरकरण सं0 512 छायाप्रति, प्रदर्श 7 नामान्तरकरण सं0 513, प्रदर्श 8 नामान्तरकरण सं0 484 छायाप्रति, प्रदर्श 9 नामान्तरकरण सं0 330 की छायाप्रति, प्रदर्श 10 नामान्तरकरण सं0 663 छायाप्रति, प्रदर्श 11 नामान्तरकरण सं0 423 छायाप्रति, प्रदर्श 12 नामान्तरकरण सं0 424 छायाप्रति, प्रदर्श 13 नामान्तकरण सं0 665 छायाप्रति, प्रदर्श 143 नामान्तकरण सं0 621 छायाप्रति,प्रदर्श 15 नकल जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 पेश किये। साक्ष्यवादी पी.डब्ल्यू 1 बाबूलाल, पी.डब्ल्यू 2 हरिसिंह, पी.डब्ल्यू 3 बलवन्तसिंह के शपथपत्र पेश किये।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस एक पक्षीय सुनी गई।

वादी के सुयोग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की। लिखित बहस में कथन किया कि असल प्रतिवादिया कैलाशदेवी के पक्ष में 10 बिस्वा का ही बयनामा वादी व तर0 प्रतिवादी ने करवाया था। लेकिन 19 बिस्वा का राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन हो रहा है। जिसे वादी दुरुस्त कराने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जावे। वादी को 09 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी सं0 1 का नाम रिकॉर्ड से कलमजन किया जावे।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर विचार किया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्यों पर गौर किया गया। वादी व तर0 प्रतिवादी द्वारा दिनांक 02.05.2005 जर्ये बयनामा रकबा 79/120 भाग में से 25/132 भाग यानि विवादित भूमि में से 10 बिस्वा भूमि का ही बेचान किया

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

मुख्य खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

जाना रिकॉर्ड से विदित है। जबकि प्रतिवादी 1 के नाम विवादित आराजी में 19 बिस्वा रकबा दर्ज है। जिसे वादी दुरूस्त कराने अधिकारी है। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादी का वाद डिक्री किया जाता है। (1) विवादित आराजी ख0 नं0 581/116 रकबा 1.01 हैक्ट0 वाके ग्राम ईकरोटिया तहसील कोटकासिम के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 283/1320 यानि 19 बिस्वा में 9 बिस्वा रकबा प्रतिवादी सं0 1 के नाम से कलमजन किया जाता है तथा इस 09 बिस्वा पर वादी व तर0 प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। (2) प्रतिवादी सं0 1 को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबंद किया जाता है कि वह विवादित आराजी के 09 बिस्वा आराजी के राजस्व रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति को कायम रखे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिम्बी)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

INDIA ONE RUPEE एक रुपया भारत COURT FEE

अधिकारी ... कोटकासिम (अलवर)

ऑफिसर प्रति
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
127 / 2015	26 / 06 / 2015	

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र धीरा जाति चमार ग्राम ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:–वादी

बनाम

1. कैलाशदेवी पत्नी जसवन्तसिंह जाति चमार ग्राम राईखेड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0
2. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर राज0

:– असल प्रतिवादीगण

3. बनवारी पुत्र धीरा जाति चमार ग्राम ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:– तर0 प्रतिवादीगण

4. राजेन्द्रसिंह
5. गजराजसिंह पुत्रान थावरिया जाति चमार ग्राम ईकरोटिया
6. देवेन्द्रकुमार पुत्र हेतराम
7. हीरालाल जाति चमारान ग्राम ईकरोटिया
8. पूनमदेवी पत्नी अनिलकुमार जाति चमार ग्राम करवड़
9. ओमवती पत्नी दयाराम जाति चमार ग्राम जहांपुरी
10. मनोजकुमार पुत्र सुलतानसिंह जाति चमार ग्राम करवड़
11. रतिराम पुत्र बनवारीलाल जाति गुवारिया ग्राम करवड़ की ढ़ाणी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
12. यशपाल पुत्र सोराम जाति चमार ग्राम बाघोर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

:– फोरमल पक्षकारान

प्रमाणित प्रति

उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

दावा इश्तकारारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
हुक्मईम्तनाईदवामी अंतर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री शेरसिंह चौधरी अधि0 वादी0

निर्णय

वादी का वाद डिक्री किया जाता है। (1) विवादित आराजी ख0 नं0 581/116 रकबा 1.01 हैक्ट0 वाके ग्राम ईकरोटिया तहसील कोटकासिम के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 283/1320 यानि 19 बिस्वा में 9 बिस्वा रकबा प्रतिवादी सं0 1 के नाम से कलमजन किया जाता हैं तथा इस 09 बिस्वा पर वादी व तर0 प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। (2) प्रतिवादी सं0 1 को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबंद किया जाता है कि वह विवादित आराजी के 09 बिस्वा आराजी के राजस्व रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति को कायम रखे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.10.2015 को मेरे हस्ताक्षर व मुहर न्यायालय से जारी की जाती है।

उप खण्ड अधिकारी

(बलवन्त सिंह लिग्री)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0